भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3727

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: तमिलनाडु में एमआईडीएच का कार्यान्वयन

3727. श्री सी. एन. अन्नादुरईः

श्री जी. सेल्वमः

श्री नवसकनी के.:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर तमिलनाडु सहित देश में राज्यवार एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में शीत भंडारण और शीत कक्ष सुविधाओं जैसे कटाई-पश्चात् प्रबंधन अवसंरचना की स्थापना के लिए उक्त मिशन के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस घटक के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है, जिसमें तमिलनाडु के जिलावार आंकड़े और लाभार्थियों की श्रेणी शामिल है;

(घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु के बागवानी-समृद्ध जिलों में कटाई-पश्चात् अवसंरचना में किसी कमी की पहचान की है और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को एमआईडीएच के अंतर्गत नई शीत श्रृंखला या कटाई-पश्चात् परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ऐसे प्रस्तावों की स्थिति क्या है; और

(च) तमिलनाडु में ऐसे अवसंरचना विकास के लिए ऋण लिंकेज और ऋण प्रदान करने में बैंकों की भूमिका का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), केंद्र प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 से लागू की जा रही है जिसका उद्देश्य देश में बागवानी का समग्र विकास करना है जिसमें फल, सब्जियां, कंद-मूल फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित एवं औषधीय पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस शामिल हैं। समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना का कार्यान्वयन तमिलनाडु के सभी जिलों में किया जा रहा है।

(ख): विगत 5 वर्षों के दौरान, तमिलनाडु में शीत भंडारण और शीत गृह सुविधाओं के साथ-साथ विभिन्न फसलोंपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए 224.51 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग): तमिलनाडु में फसलोंपरांत प्रबंधन घटक के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह पाया गया है कि तमिलनाडु में भंडारण एवं प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप फसलोंपरांत भारी नुकसान होता है और इन नुकसानों को कम करने के लिए, एमआईडीएच योजना के अंतर्गत फसलोंपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे पैक हाउस, कम लागत वाली प्याज भंडारण संरचनाएं, न्यूनतम प्रोसेसिंग यूनिटें, शीतगृह आदि की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ): एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना का कार्यान्वयन राज्यों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाले कार्यकलापों का ब्यौरा देते हुए वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) प्रस्तुत की जाती हैं। तमिलनाडु राज्य के लिए वर्तमान वर्ष अर्थात 2025-26 के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं को मंत्रालय के पत्र दिनांक 04/04/2025 के पत्र द्वारा अनुमोदन दिया गया है।

(च): एमआईडीएच के अंतर्गत, प्री-कूलिंग यूनिट, इंटीग्रेटेड पैक हाउस, शीतगृह यूनिट आदि जैसी परियोजना-आधारित कार्यकलापों के लिए ऋण-आधारित बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना के अंतर्गत बैंक अवसंरचना-आधारित कार्यकलापों के विकास हेतु प्राप्त ऋणों पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं।

अनुबंध

तमिलनाडु में फसलोंपरांत प्रबंधन घटक के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का जिलेवार विवरण

क्रम सं.	जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या					
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	Total
1	अरियालूर	50	10	102	31	6	199
2	कोयंबटूर	59	45	68	91	47	310
3	कुड्डालोर	67	25	34	56	9	191
4	धर्मपुरी	114	55	105	131	130	535
5	डिण्डीगुल	180	170	184	434	146	1114
6	इरोड	120	75	63	121	64	443
7	कन्याकुमारी	5	5	5	5	5	25
8	कल्लाकुरिची	75	110	305	290	90	870
9	कोडाईकनाल	5	0	15	10	2	32
10	कृष्णागिरी	361	75	179	340	172	1127
11	मदुरै	150	70	76	133	121	550
12	पेराम्बलुर	420	336	363	721	130	1970
13	पुडुक्कोट्टई	30	32	50	72	90	274
14	रामनाद	50	5	54	0	10	119
15	रानीपेट	20	7	15	16	15	73
16	सलेम	110	60	70	123	65	428
17	शिवगंगा	90	55	95	72	38	350
18	टेनकासी	135	23	35	124	27	344
19	थंजावुर	70	0	39	40	35	184
20	थेनी	70	56	131	142	20	419
21	नीलगिरी	32	7	40	44	32	155
22	तिरुपाथुर	20	5	15	8	20	68
23	तिरुप्पुर	130	115	236	377	301	1159
24	त्रिची	410	510	762	695	396	2773
25	तिरुनेलवेली	30	5	15	4	0	54
26	वेल्लोर	40	5	11	6	5	67
27	विल्लुपुरम	77	15	85	99	0	276
28	चेंगलपट्टू				0	0	0
29	कांचीपुरम				0		0
30	करूर				0	6	6
31	माइलादुरई				0	1	1
32	नामक्कल			58	146	42	246
33	नागापट्टिनम				0	1	1
34	थिरुवल्लुर			9	1	0	10
35	थूथुक्कुडी					6	6
36	थिरुवरुर						0
37	थिरुन्नामलाई						0
38	विरुधुनगर					13	13
39	चेन्नई						0
	कुल	**2920**	**1876**	**3219**	**4332**	**2045**	**14392**

नोट: इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के किसान अर्थात सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लाभान्वित किया गया है।

******